23

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः– श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1242–चार/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 17–09–2008 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 201/निगरानी/2006–07.

....

1–विमलेश कुमार तनय नागेन्द्र ब्रा0
निवासी ग्राम तेदुआ पड़ान तहसील
हनुमना जिला रीवा म0 प्र0
2–मु0 छोहगी बेवा रामप्रभाकर
निवासी ग्राम बिरहा समयलाल
तहसील हनुमना जिला रीवा म0 प्र0

––––आवेदकगण

विरूद्ध

हिन्छलाल तनय रामाधार ब्रा0
निवासी ग्राम बिरहा समयलाल
तहसील हनुमना जिला रीवा म0 प्र0

––––अनावेदक

....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

....

आदेश
(आज दिनांक 03/7/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आंयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश 17–9–08 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर आराजी कमांक 385/5 रकवा 0.50 एकड़ के नक्शा तर्मीम करने का

अनुरोध किया गया। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 के तहत प्रकरण पंजी बद्व कर पटवारी हल्का विझौली को प्रस्ताव देने बावत आदेश दिया गया। पटवारी द्वारा भूमि का प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं आने पर तहसीलदार हनुमना द्वारा दिनांक 19.5.06 को नक्शा तरमीम के आदेश पारित किये। इससे दुखित होकर अपर कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो उनके द्वारा दिनांक 21.12.06 को निगरानी स्वीकार करते हुये आदेश पारित किया। इससे दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 17.9.08 को स्वीकार की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नास्पद आदेश दिनांक 17.9.08 विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो विधिक बिन्दु निर्णित करने को था उस बिन्दु पर ध्यान नही नहीं दिया गया और निगरानी स्वीकार कर लिया गया आदेश अस्पष्ट एवं भ्रामक स्थिति का है प्रश्न यह था कि क्या रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर नामांतरण हुआ, लेकिन नक्शा तर्मीम रजिस्टर्ड विकय पत्र में दर्शाई गई चौहद्वी के आधार पर नहीं हुआ। यह नक्शा तर्मीम एवं रजिस्टर्ड विकय पत्र में उल्लेखित सीमा से बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिये नक्शा तर्मीम गलत हुआ है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात की ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि जब अनावेदक स्वयं अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया हे कि उसने नक्शा तर्मीम रजिस्ट्री के आधार पर कराया है तब रजिस्ट्री में लिखी चौहददी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज इस तथ्य को देखने के लिये है और जिस दस्तावेज में लिखी चौहददी के विपरीत नक्शा तर्मीम कराया गया हैं नक्शा में पूर्वी भाग बचत भाग है जिसका नक्शा तर्मीम नहीं किया जाना चाहिये। प्रकरण में यही महत्वपूर्ण बिन्दु निराकृत करने का था। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 17.9.08 निरस्त कर अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 21.12.06 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक द्वारा विवादित आराजी रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की गई थी एवं उसी का उसके द्वारा नामांतरण कराया गया गया है और उसी

आराजी का उसके द्वारा नक्शा तरमीम कराई गई है इससे स्पष्ट है कि अनावेदक के पक्ष में अपर आयुक्त रीवा द्वारा आदेश पारित किया गया है जो विधि प्रकिया से उचित है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। निगरानी में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा विविादित भूमि विकय पत्र से कय की गई है और उसके द्वारा तहसीलदार के न्यायालय से दिनांक 15.9.04 को नामांतरण भी किया गया है। तहसीलदार के द्वारा आराजी नम्बर 385/5 रकवा 0.50 एकड़ का नामांतरण करने के पश्चात इतने ही रकवे का नक्शा तरमीम किया गया है। तहसीलदार द्वारा विकय पत्र के आधार पर नामांतरण किया गया है और इतने ही रकवे की तरमीम की गई है इससे स्पष्ट है कि उनके आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सरहदी कास्तकारों को सूचना नहीं दी गई है तो उनको प्रकरण प्रत्यावर्तित करना चाहिये था, लेकिन उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने में त्रुटि की गई थी इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 201/निगरानी/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 17–09–08 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर